

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270418
SG-DL-E-23022026-270418असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]	दिल्ली, सोमवार, 23 फरवरी, 2026/फाल्गुन 4, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 476
No. 61]	DELHI, MONDAY, 23 FEBRUARY, 2026/PHALGUNA 4, 1947	[N. C. T. D. No. 476

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह-एफएसएल विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

फा.सं. 2(110)/एफएसएल/स्था./भर्ती नियम/जेएसओ (दस्तावेज)/2024/653.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (दस्तावेज) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—(1) इन नियमों को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (दस्तावेज) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की भाक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में किसी उल्लेख से भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (दस्तावेज)
2.	पदों की संख्या	:	05*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह "ख"
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-07 (44,900-1,42,400/रुपये-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी. एससी. स्तर पर कम से कम दो वर्षों/चार सेमेस्टर्स में भौतिकी या रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में अध्ययन सहित फॉरेंसिक विज्ञान या भौतिकी या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री। टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक	:	आयु : नहीं

	योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		शैक्षिक योग्यता : हाँ
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	केवल सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 02 वर्ष टीप : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परीवीक्षा की पूर्णता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	भर्ती की पद्धति	:	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके ने होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है	:	पदोन्नति : स्तर में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन स्तर-06 (35400-112400/-रुपये) में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (दस्तावेज)। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में स्तर-6 (रुपये 35,400-1,12,400/-) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कॉलम संख्या 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं रखने वाले। टीप 2:- भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। टीप 3:- केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य

		संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टीप 4:- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति टैब के अंतर्गत शब्द अर्ध सरकारी का विलोप किया जा सकता है। शेष प्रविष्टियां सही हैं तथा स्वीकार की जा सकती हैं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. संबंधित वर्टिकल के प्रधान निदेशक/निदेशक, एफएएसएल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य टीप :- यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।?	: सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार शर्मा, उप-सचिव

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2026

F. No. 2(110)/FSL/ESTT/RR/JSO(DOCUMENTS)/2024/653.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Junior Scientific Officer (Documents) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement—

(i) These rules may be called the Junior Scientific Officer (Documents) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit,

qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:-No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Officer (Documents)	05* (2025) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group B	Level-07 (Rs. 44,900-1,42,400) in the Pay Matrix	Selection	Not exceeding 30 Years (relaxable for govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issue by central govt.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	Essential: Masters degree in Physics or Chemistry or Forensic Science with Physics or Chemistry as one of the subject studied for atleast two years/four semesters at B.Sc. level from a Govt recognized University/Institute. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: No, EQs: Yes	2 years for Direct Recruits only	50 % by Promotion failing which by deputation	Promotion: Senior Scientific Assistant (Documents) in pay Level-6 (Rs 35400-112400) with 05 years	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering	Consultation with U.P.S.C. is necessary for making direct

	<p>Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation.</p>	<p>n (including short term contract), And 50% by Direct Recruitment</p>	<p>regular service in the level.</p> <p>Note:1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation (including short -term contract): Officers under the Central/State Govts./UTs/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Autonomous Organizations:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 05 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 6 (35400-112400) or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column No. 7.</p> <p>Note 2: The departmental officers in the feeder category who</p>	<p>promotion/confirmation)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary(Home), GNCTD- Chairperson 2. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Services), GNCTD- Member 3. Principal Director /Director of the concerned vertical, FSL, GNCTD-Member <p>Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.</p>	<p>recruitment.</p>
--	--	---	--	---	---------------------

			<p>are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. The word semi government under deputation tab may be omitted. Rest entry is in order and may be agreed to.</p>		
--	--	--	--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KUMAR SHARMA, Dy. Secy.